



न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सेड़वा जिला बाड़मेर  
राजस्व आवेदन सं. 24/2023 अन्तर्गत धारा 111,128 एल.आर.एक्ट

गोपरिंह वगैरा बनाम अरबाब वगैरा  
पीठासीन अधिकारी - श्री रामजी भाई कलबी आर.ए.एस  
प्रार्थी वकील - श्री श्रीराम विश्नोई

निर्णय

दिनांक - 13/04/2023

प्रस्तुत प्रकरण में संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में कथन किया है कि तहसील सेड़वा पटवार क्षेत्र सालारिया भू.अ.नि. क्षेत्र सेड़वा के मौजा पूजारा के खेत खसरा संख्या 466/59 रकबा 08.0937 हैक्टर किरम बा.सो स्थित है। प्रार्थी के खेत के पास विप्रार्थीगण उक्त खातेदारी भूमि के पडोसी है। जिनके खेत प्रार्थी के खेत के पडोस में स्थित होने के कारण बरसात के समय वक्त काश्त अक्सर विप्रार्थीगण सेढो को लेकर विवाद करते रहते हैं। प्रार्थी एवं विप्रार्थीगण के मध्य सीमा को लेकर विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान करवाकर पत्थरगड्डी पेमाईश एवं नेखमबन्दी करवाना चाहते हैं। प्रार्थी ने पेमाईश एवं नेखमबन्दी करने का निवेदन किया है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज कर विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस बाद प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज कर विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस बाद तामिल प्राप्त हुए। लेकिन कोई उपस्थित नहीं हुआ, अतः उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। जिससे स्पष्ट होता है कि प्रार्थी के वक्त काश्त प्रार्थी व विप्रार्थीगण के मध्य सीमाओ को लेकर विवाद बना रहता है, इस कारण प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि की पेमाईश एवं नेखमबन्दी करवाना चाहते हैं। प्रार्थी विवादित भूमि के खातेदार काश्तकार राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज होने के कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त भूमि तहसील सेड़वा पटवार क्षेत्र सालारिया भू.अ.नि. क्षेत्र सेड़वा के मौजा पूजारा के खेत खसरा संख्या 466/59 रकबा 08.0937 हैक्टर, किरम बा.सो की नेखमबन्दी करने का आदेश दिया जाता है। नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार सेड़वा को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर को निर्देश दिये जाते हैं कि वो दोनों पक्षों के रूबरू किसी मुस्तकील/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर पैमाईश करे व भूमापक कर्ता को यह भी निर्देश दिये जाते हैं कि किसी सक्षम न्यायालय से स्थगन आदेश न हो तो वो दोनों पक्षों के रूबरू विवादित भूमि की मौके की स्थिति व कब्जे काश्त में परिवर्तन किये बिना मुस्तकील/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर पेमाईश करे व नेखमबन्दी कर पालना रिपोर्ट पेश करे वक्त पेमाईश हल्का पटवारी को साथ रखे। नेखमबन्दी के दौरान किसी बिन्दु को लेकर विवाद की स्थिति हो तो नेखम स्थापित नहीं किये जावे और उसकी मौका स्थिति की रिपोर्ट पेश करे। तहरीर जारी हो।

तहसीलदार सेड़वा को आदेश दिया जाता है कि वे प्रार्थी के खसरों की नेखमबन्दी विप्रार्थीगण की उपस्थिति में करावे एवं नेखमबन्दी के दौरान विप्रार्थीगण के हितों पर कुठाराघात न हो।

पत्रावली पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर पेश हो पत्रावली फ़ैसला शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।  
निर्णय आज दिनांक 13/4/23 को न्यायालय के खुले परिसर में सुनाया गया।

  
(रामजी भाई कलबी)  
उपखण्ड अधिकारी, सेड़वा

## न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) सेड़वा जिला बाड़मेर

प्रार्थी	बनाम	विप्रार्थीगण
<ol style="list-style-type: none"> <li>गोपसिंह पुत्र जुगतसिंह जाति राजपूत, निवासी मारुडी, तहसील बाड़मेर, जिला बाड़मेर।</li> <li>पदमसिंह पुत्र कानसिंह जाति राजपूत निवासी जैसिन्दर, तहसील बाड़मेर, जिला बाड़मेर।</li> </ol>		<ol style="list-style-type: none"> <li>अरबाब पुत्र उमर</li> <li>अलाबचाया पुत्र उमर</li> <li>ईरगाईल पुत्र उमर</li> <li>मखन पुत्र उमर</li> <li>रालीम पुत्र उमर</li> <li>हाराम पुत्र उमर</li> <li>आसीयत पत्नि उमर</li> <li>कवूल पुत्र मखन</li> <li>मोहमदरहीम पुत्र जाफर</li> <li>भलण पत्नि जाफर</li> <li>मलुकखान पुत्र जुसब</li> <li>मोहमदवक्स पुत्र जुसब</li> <li>मरयित पत्नि जुसब जातियान मुसलमान, निवासी पूजासर, तहसील सेड़वा, जिला बाड़मेर।</li> <li>दाना पुत्र मजना जाति मेघवाल निवासी बुरहान का तला, तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर।</li> <li>तहसीलदार सेड़वा</li> </ol>

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राज.भू. राजस्व अधिनियम वास्ते नेखमबंदी बाबत।  
राजस्व आवेदन संख्या 24/2023

आदेश

दिनांक : 13/04/2023

तहसीलदार सेड़वा को भेजकर लेख है कि उपरोक्त प्रकरण में तहसील सेड़वा पटवार क्षेत्र सालारिया भू.अ.नि. क्षेत्र सेड़वा के मौजा पूजासर के खेत खसरा संख्या 466/59 रकबा 08.0937 हैक्टर किस्म बा.सो स्थित है। के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु तहसीलदार सेड़वा को कमीशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त विवादित भूमि की पेमाईश आप अपने स्तर पर टीम गठित कर दोनों पक्षों को विधि को विधि सम्मत नोटिस के जरिये सूचित कर यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तथा नेखमबंदी की पालना 15 दिवस में अवश्य पेश करें। नेखमबंदी के दौरान किसी बिन्दु पर किसी प्रकार निर्माण होने की स्थिति में उस बिन्दु पर नेखम स्थापित नहीं किया जावे और उसकी मौका स्थिति की रिपोर्ट पेश करे। तहसीलदार दोनों पक्षों को नोटिस जारी करने के उपरान्त ही नेखमबंदी की कार्यवाही करेंगे।

नेखमबंदी के दौरान विप्रार्थीगण के हितों पर कुठाराघात न हों। आवश्यकता होने पर संबंधित पुलिस थाना से इमदाद हेतु अधिकृत किया जाता है।



क्रमांक/भू.अ./2023/ 586-594

प्रतिलिपि :- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ-

- तहसीलदार सेड़वा ।
- प्रार्थी गोपसिंह पुत्र जुगतसिंह वगैरा ।
- विप्रार्थीगण अरबाब पुत्र उमर वगैरा ।
- थानाधिकारी पुलिस थाना सेड़वा/चौहटन/बाखासर/बीजराड़/धोरीमन्ना/धनाऊ ।

(रामजी भाई केलबी)  
उपखण्ड अधिकारी  
सेड़वा  
दिनांक (SDO) सेड़वा  
13/4/2023

(रामजी भाई केलबी)  
उपखण्ड अधिकारी  
सेड़वा